

# छात्र-छात्राओं के लिए आचारसंहिता

1. महाविद्यालय में प्रतिदिन परिचय पत्र साथ लेके न आवें।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी सहयोग प्रदान करेगा।
3. अपना वाहन परिसर में चिह्नंकित स्थान पर रखें।
4. छात्र छात्राएं शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय आयेगे।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है।
6. महाविद्यालय में ईधन-उधन थूकना, दीवारों पर लिखना इत्यादि मरुत मना है।
7. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
8. अपने बाहरी मित्रों को प्राचार्य की अनुमति के बिना महाविद्यालय में परिसर में लेके न आवे।
9. महाविद्यालय के सीमाओं में किसी भी सादक पदार्थों का सेवन पूर्णता वर्जित रहेगा।
10. बैगिंग आदि गतिविधियों में भाग लेना पूर्णता: प्रतिबंधित है।

प्राचार्य

यशवंत राव मेघावाले शासकीय महाविद्यालय मंगरलोड  
जिला-धमतरी (छ.ग.)